प्रकाशनार्थ अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4740/2007</u>

याचिकाकर्ता:

1. देव नारायण पाठक, आत्मज स्व. श्री चिंतामणि पाठक, आयु लगभग 57 वर्ष, वर्तमान में वरिष्ठ सचिव के पद पर पदस्थ, कृषि उपज मंडी समिति, रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ कृषि विपणन बोर्ड भवन, रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. श्री शांतनु पंडा, मंडी निरीक्षक, प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, अमानदुल्ला, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थिति:

श्री आशीष श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री सतीश गुप्ता, राज्य के शासकीय अधिवक्ता।

श्री आर.एस. मरहास, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के अधिवक्ता।

श्री बी.डी. गुरु, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

// मौखिक आदेश //

(दिनांक 28 जनवरी, 2008 को पारित)

अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 4.

यह दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने हेतु एक आवेदन है। आवेदन को प्रार्थनानुसार आदेशित किया जाता है।

1. याचिकाकर्ता, जो कृषि उपज मंडी समिति, रायगढ़ में वरिष्ठ सचिव के रूप में कार्यरत है, को आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2007 (संलग्नक पी/1) द्वारा प्रशासनिक आधार पर कृषि उपज मंडी समिति, अमानदुल्ला, जिला जांजगीर चांपा में स्थानांतरित किया गया था। उसी आदेश द्वारा उनके स्थान पर प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को अमानदुल्ला से स्थानांतरित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि, आदेश दिनांक 30.07.2007 से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश की विधिमान्यता को मुख्य रूप से दो आधारों पर चुनौती देते हुए इस न्यायालय का रुख किया। प्रथम, याचिकाकर्ता को बार-बार किए गए कई स्थानांतरणों के कारण कष्ट हुआ है; द्वितीय, यह शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है क्योंकि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को समायोजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के प्रथम तर्क को इन तथ्यों से समर्थन मिलता है कि याचिकाकर्ता कृषि उपज मंडी समिति, भाटापारा में पदस्थ था, जहाँ से उसे जगदलपुर स्थानांतरित किया गया था। उसने दिनांक 09.06.2002 को जगदलपुर में कार्यभार ग्रहण किया। जगदलपुर मंडी समिति में एक वर्ष सेवा करने के पश्चात, आदेश दिनांक 25.06.2007 द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण रायगढ़ कर दिया गया। पुनः, आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2007 (संलग्नक पी/1) द्वारा याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आधार पर कृषि उपज मंडी समिति, अमानदुल्ला, जिला जांजगीर चांपा में स्थानांतरित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. द्वितीय तर्क पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं है। स्वयं स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इसे प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को समायोजित करने के लिए पारित किया गया था। इस प्रकार, यह बाह्य विचारों से प्रभावित शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है।

5. प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. मरहास ने इसके विपरीत तर्क दिया कि शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि दुर्भावना का आरोप किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए। केवल यह स्वयंकृत कथन कि आदेश प्रत्यर्थी क्रमांक

3 को समायोजित करने के लिए पारित किया गया था, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विरुद्ध दुर्भावना सिद्ध करने का आधार नहीं हो सकता। बार-बार स्थानांतरण के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण लोकहित में किया गया एक नियमित स्थानांतरण है। यह आक्षेपित स्थानांतरण वर्ष 2005 से तीसरा स्थानांतरण है। इसे बार-बार किया गया स्थानांतरण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे प्रशासनिक अनिवार्यता के कारण पारित किया गया था।

6. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. गुरु ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करवाने का प्रयास नहीं किया है और वह लोकहित एवं प्रशासनिक अनिवार्यता में प्रत्यर्थी क्रमांक द्वारा उसे जहाँ भी पदस्थ किया जाता है, वहाँ कार्य करने के लिए तैयार और इच्छुक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री सतीश गुप्ता ने तर्क दिया कि राज्य एक औपचारिक पक्षकार है। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 नियोक्ता है और प्रशासनिक अनिवार्यता एवं लोकहित में कर्मचारियों की पदस्थापना की उपयुक्तता का विनिश्चय करना प्रत्यर्थी क्रमांक 2 का काम है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और उसके साथ संलग्न अभिवचनों एवं अभिलेखों के परिशीलन के पश्चात, ऐसा प्रतीत होता है कि

इस याचिका को प्रस्तुत करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2007 को आक्षेपित स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी गई थी। अंतरिम आदेश दिनांक 14.08.2007 के आधार पर याचिकाकर्ता उसी स्थान कार्यरत है।

9. इसी बीच, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने भी दिनांक 20.08.2007 को आक्षेपित आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2007 को रद्द करने का आदेश पारित कर दिया है। हालांकि, आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि आदेश को रिट याचिका के लंबित रहने तक रद्द किया गया था। यह सुस्थापित है कि किसी भी याचिका के लंबित रहने के दौरान आदेश को निलंबित किया जा सकता है, परंतु इसे सीमित अवधि के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. चूंकि आदेश स्वयं ही रद्द कर दिया गया है, इसलिए आदेश को पुनर्जीवित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। नियोक्ता होने के नाते प्रत्यर्थी क्रमांक 2 याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को भी विधि के अनुसार बिना किसी बाधा के उस स्थान पर पदस्थ करने के लिए स्वतंत्र है जहाँ उनकी सेवाओं की आवश्यकता है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आदेश रद्द कर दिया गया है, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को आदेश

दिनांक 30.07.2007 के अनुपालन पर जोर नहीं देना चाहिए। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मरहास को इस निवेदन से कोई आपत्ति नहीं है।

12. पूर्वगामी के आलोक में, प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करना आवश्यक नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ऊपर उठाए गए अन्य आधारों पर जोर नहीं दिया है।

13. तदनुसार, यह याचिका, दिनांक 30.07.2007 (संलग्नक पी/1) के आदेश, जो यहाँ आक्षेपित है, के अनुपालन पर बल दिए बिना निराकृत की जाती है; प्रत्यर्थी क्रमांक 2 लोकहित और प्रशासनिक अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**